// सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 611 / सो.आ.नि.–220 / 2014
दिनाँकः 24 फरवरी, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
अशोक मार्ग, लखनऊ।

विषयः **ऑनलाइन केन्द्रीयकृत बैंकिंग के अर्न्तगत निदेशक, सोशल आडिट, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के नाम से गैर व्यक्तिगत बचत खाता खोला जाना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 270 / सो0आ0नि0–220 / 2013 दिनांक 19–9–2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस निदेशालय एवं बैंक के बीच हुए अनुबन्ध के अनुपालन में आप द्वारा ''निदेशक, सोशल आडिट, ग्राम्य विकास, उ0प्र0'' के नाम से खाता संख्या 33334969131 खोला गया है। जैसा कि उक्त पत्र एवं अनुबन्ध में उल्लिखित है, संदर्भगत बचत बैंक खाता से निदेशक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर कैश क्रेडिट लिमिट के पैटर्न पर राज्य के विभिन्न जनपदों में तैनात जिला विकास अधिकारियों को आहरण की सुविधा अनुमन्य की जानी है और इस हेतु बैंक द्वारा जिला विकास अधिकारियों को चेक की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।

2– निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 19–9–2013 के अर्न्तगत की गई **उक्त व्यवस्था को विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।** अतः आपसे अनुरोध है कि अब कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा उपलब्ध न कराई जाए और उन्हें प्रदत्त चेक बुकों के जो पन्ने अवशेष हों उन्हें निरस्त (Cancelled) माना जाए।

3– उक्त समाप्त की गई व्यवस्था के स्थान पर **अब जिला विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपद में भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में बचत बैंक खाता ''जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट'' के नाम से खुलवा लें** और इस प्रकार खोले गए खाते में निदेशक, सोशल आडिट, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के खाता संख्या 33334969131 से **ई–ट्रान्सफर द्वारा आवश्यक धनराशियां उपलब्ध कराई जाएंगी।** इस पुनरीक्षित व्यवस्था के अर्न्तगत अधिकांश जनपदों में ''जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट'' के नाम से खाते खुल भी गए हैं और शेष जनपदों में खाता खोलने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

4– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया खाता संख्या 33334969131 से आहरण हेतु जिला विकास अधिकारियों द्वारा यदि त्रुटिवश कोई चेक जारी हो जाए तो उसे मान्यता न प्रदान करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे खाता संख्या 33334969131 से आहरण हेतु कोई भी चेक न जारी करें और सोशल आडिट कार्यक्रम हेतु सभी आहरण नियमानुसार ''जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट'' के नाम से खोले गए बचत बैंक खाते से इस निदेशालय द्वारा मदवार स्थानान्तरित धनराशि को संज्ञान में लेते हुए करें।

(शंकर सिंह)
निदेशक।